UPBJ010102192022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, ई.सी. एक्ट, बिजनौर।
पीठासीन अधिकारी–लोकेश नागर, (एच0जे0एस0). UP1764
फौजदारी निगरानी संख्या–506/2022

अनिल कुमार पुत्र नरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम स्याऊ, थाना चॉदपुर, जिला बिजनौर। ..... निगरानीकर्ता।

बनाम

1– उत्तर प्रदेश सरकार
2– बुद्धप्रकाश पुत्र खुशीराम
3– जितेन्द्र पुत्र बुद्धप्रकाश
4– हितेश पुत्र बुद्धप्रकाश
निवासीगण ग्राम रतनपुर रियाया, थाना मण्डावर, जिला बिजनौर।
5– तेजपाल सिंह पुत्र मंगला सिंह, निवासी ग्राम अलीपुर माखन उर्फ लायकपुरी, थाना मण्डावर, जिला बिजनौर। ..... विपक्षीगण।

निर्णय

1– प्रस्तुत फौजदारी निगरानी विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा अंतिम आख्या वाद–99/2017, मु.अ.सं.–340/2016, अनिल कुमार बनाम बुद्धप्रकाश आदि, अंतर्गत धारा–302,420,467,468,471,120बी भा.दं.सं., थाना मण्डावर, जिला बिजनौर में विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने संबंधी आदेश दिनांकित 26.09.2022 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है।

2– संक्षेप में निगरानी के उत्पत्ति के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा अनिल द्वारा मु.अ.सं.–340/2016 अभियुक्तगण बुद्धप्रकाश, जितेन्द्र, हितेश एवं तेजपाल सिंह के विरूद्ध धारा–302,420,467,468,471,120बी भा.दं.सं. थाना मण्डावर पर पंजीकृत कराया गया, जिसमें विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध साक्ष्य पर्याप्त न पाते हुए अंतिम आख्या न्यायालय में प्रेषित की गई। न्यायालय द्वारा वादी मुकदमा को उक्त पर आपत्ति हेतु नोटिस निर्गत किया गया परंतु उसके द्वारा पर्याप्त अवसर के उपरांत कोई आपत्ति प्रस्तुत न किये जाने पर दिनांक 26.09.2022 को उक्त अंतिम आख्या को स्वीकार करने का आदेश पारित किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता/वादी द्वारा वर्तमान निगरानी विभिन्न आधारों पर प्रस्तुत करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 26.09.2022 को अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

3– निगरानीकर्ता द्वारा सत्यप्रतिलिपि प्रश्नगत आदेश दिनांकित

20.12.2024 कागज संख्या ख–5/1 ता ख–5/2 प्रस्तुत किया गया है।

4– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया।

5– पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6– विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) का कथन है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की विधिक, तथ्यात्मक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित नहीं किया है। आदेश में हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः निगरानी निरस्त किया जाए।

7– मेरे द्वारा निगरानी में वर्णित आधारों के आलोक में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश एवं अंतिम आख्या वाद की पत्रावली का अवलोकन किया गया। उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता/वादी मुकदमा अनिल कुमार द्वारा मृतक छोटे जो कि उसके सगे ताऊ थे, की मृत्यु एवं उनके द्वारा निष्पादित वसीयत के संदर्भ में अपने सगे ताऊ बुद्धप्रकाश एवं उनके पुत्रगण जितेन्द्र एवं हितेश तथा वसीयत के गवाह तेजपाल सिंह के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–156(3) दं.प्र.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उस पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में थाना मण्डावर में मु.अ.सं.–340/2016 अंतर्गत धारा–302,420,467,468,471,120बी भा.दं.सं. पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा साक्षीगण के बयानों के आधार पर वादी मुकदमा/निगरानीकर्ता अनिल कुमार द्वारा तहरीर में वर्णित तथ्य कि मृतक छोटे उसके साथ स्याऊ, चॉदपुर में रहते थे और अभियुक्तगण दिनांक 18.01.2016 को उन्हें अपने साथ ग्राम रतनपुर ले गये थे और वहॉ ले जाकर दिनांक 20.01.2016 को जबरदस्ती उनसे उनके हिस्से की जमीन की वसीयत अपने नाम कराने के उपरांत उनकी हत्या कारित कर दी, झूठा पाया गया। केस डायरी में वर्णित साक्षीगण के बयानों से स्पष्ट है कि मृतक छोटे अपने मृत्यु के समय अभियुक्तगण के साथ उनके घर स्थित ग्राम रतनपुर में रहते थे तथा वह वादी/निगरानीकर्ता के घर चार वर्ष से नहीं आये थे और उनकी स्वाभाविक मृत्यु लगभग 80 वर्ष की आयु में बीमारी के कारण हुई थी तथा उनके क्रियाकर्म में निगरानीकर्ता/वादी मुकदमा स्वयं सम्मिलित हुआ था। तत्पश्चात् निगरानीकर्ता/वादी मुकदमा को मृतक छोटे द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांकित 20.01.2016 की जानकारी होने पर वर्तमान मुकदमा जमीन के लालच में पंजीकृत कराया गया है। वसीयत दिनांकित 20.01.2016 जो कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसे उपनिबंधक, सदर, बिजनौर के समक्ष निष्पादित किया गया है जिस पर मृतक छोटे के फोटो व अंगूठा निशानी अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य न पाते हुए अंतिम आख्या प्रेषित की गई है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी/निगरानीकर्ता को उपरोक्त अंतिम आख्या के विरूद्ध आपत्ति दाखिल करने हेतु लगभग तीन वर्ष का समय दिये जाने के बावजूद भी उसके द्वारा जानबूझकर कोई आपत्ति दाखिल न किये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अंतिम रिपोर्ट प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांकित

26.09.2022 पारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि निगरानी न्यायालय के पास बहुत ही सीमित क्षेत्राधिकार है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में प्रथम दृष्टया ऐसा कोई आधार नहीं पाया जाता जिससे कि उक्त आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। प्रश्नगत आदेश के शुद्धता, वैधता या औचित्यता के बारे में विचार करने के उपरांत उसमें कमियॉ नहीं पायी जाती हैं। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में निगरानी में वर्णित आधार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं। निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्तागण **अनिल कुमार** द्वारा प्रस्तुत **फौजदारी निगरानी संख्या–506/2022 निरस्त** की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत तलबी आदेश दिनांकित 26.09.2022 **पुष्ट** किया जाता है।

निर्णय एवं आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाए।

दिनांकः–05.09.2026

(लोकेश नागर)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
ई.सी. एक्ट, बिजनौर।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः–05.09.2026

(लोकेश नागर)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
ई.सी. एक्ट, बिजनौर।

Digitally signed by Lokesh Nagar
Date: 2026.09.05 17:05:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court